न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री नमित मेहता, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 89/2022
जी.सी.एम.एस. : 2022/270

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री अमरचंद जैन जाति जैन निवासी राणावास तहसील मा0ज0 जिला पाली हाल निवासी 482 टी. एच. रोड पुरानी धोबी चैन्नई 600021		1. अजय पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली 3. मृतक किशनाराम पुत्र श्री दुर्गा मेघवाल के का.मु. 3.1 श्रीमति सुकियादेवी पुत्री स्व. श्री किशनाराम पत्नी श्री मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी गांव राणावास, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली हाल ग्राम बिजलीयावास तहसील सोजत जिला पाली 4. मृतक लच्छाराम के का.मु.– 4.1 हजारीराम पुत्र स्व. श्री लच्छाराम जाति मेघवाल निवासी गांव राणावास तहसील मा0ज0 जिला पाली 4.2 श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री स्व. श्री लच्छाराम पत्नी श्री पोकरराम जाति मेघवाल हाल निवासी मेघवालों का वास ग्राम बालेलाव तहसील व जिला पाली 4.3 श्रीमति अणचाई पुत्री स्व श्री लच्छाराम पत्नी श्री मिश्रीलाल जाति मेघवाल हाल निवासी गांव देवलीकलां जिला पाली 5. मृतक मंशा पुत्र श्री हुकमा जाति योगी के का.मु.– 5.1 प्रेमनाथ पुत्र स्व. श्री मंशा योगी 5.2 जसनाथ पुत्र स्व. मंशा योगी 6. मृतक भीकनाथ पुत्र श्री मंशा जाति योगी के का.मु.– 6.1 सुरेन्द्रनाथ 6.2 नरेन्द्रनाथ 6.3 इन्द्रनाथ 6.4 जेठी पत्नी भीकनाथ जाति नाथ निवासी राणावास तहसील मा.ज. जिला पाली 7. मृतक किशना पुत्र श्री हुकमा योगी के पुत्र स्वर्गीय पोकरनाथ के का.मु.– 7.1.सुरेन्द्रनाथ पुत्र पोकरनाथ निवासी खारची तहसील मा0ज0 जिला पाली राज. 7.2 कमला पुत्री स्व पोकरनाथ पत्नी किस्तुरचंद जाति योगी नाथ हाल निवासी जोगेलाव तहसील देवगढ जिला राजसंमद

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीकिशन शर्मा

अप्रार्थी संख्या 3/1, 4/1, 4/2, 4/3 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सोनी।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.07.2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन में विचाराधीन प्रकरण राजस्व वाद 295/2021 बअनवान मृतक किशना पुत्र दुर्गा मेघवाल के का0मु0 सुकिया वगैरह बनाम मृतक मंशा पुत्र हुकमा, कौम योगी के कायम मुकाम प्रेमनाथ वगैरह को किसी अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु प्रस्तुत किया है। जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी तलब किया गया साथ ही बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन के द्वारा उक्त वाद में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मयाद बाहर दावे को विधि विरूद्व निर्णित कर के प्रार्थी की रजिस्ट्री को निरस्त कराने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी, पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही से व्यथित होकर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थीगण को फायदा देने की मंशा है तथा प्रार्थी अधिवक्ता को जवाब देने हेतु समुचित अवसर नहीं दिया जा रहा है तथा नजदीक–नजदीक तारीखें देकर अप्रार्थी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रार्थी के द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष भी न्याय नहीं मिलने का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है और न्यायालय से निवेदन किया जा चुका है कि प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है तथा वाद स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश करके कार्यवाही स्थगित करवाना चाहता हूँ। इसलिए समुचित अवसर प्रदान किया जावे। बावजूद इसके पीठासीन अधिकारी द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से उक्त मामले में नजदीक–नजदीक तारीखें देकर दावे की कार्यवाही जल्द करके डिक्री पारित करना चाहते है। प्रार्थी को सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन से अब किसी तरह के न्याय मिलने का भरोसा नहीं है तथा उनका व्यवहार अब न्याय करने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जायेंगे तथा प्रार्थी को भारी क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए उपरोक्त आधारों को तथ्यहीन बताते हुए अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में हमेशा से ही दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है तथा तारीख पेशियां भी सभी पक्षकारान के अधिवक्ता के सहमति के बाद ही नियत की जाती है तथा प्रत्येक पेशी पर अधिवक्ता प्रार्थी की उपस्थिति दर्ज रही है एवं न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु न्यायहित में पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किये गये है, न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है जिससे प्रार्थी अधिवक्ता को हानि कारित हुई हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2022/290 दिनांक 07.06.2022 द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रस्तुत की है जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा सदैव ही

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष तरीके से सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। वांछित प्रकरण में संलग्न मूल पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध विधि एवं प्रावधानों के परे जाकर कार्यवाही नहीं की गई है इसके अलावा भी यदि अधिवक्ता प्रार्थी उक्त वाद को अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो श्रीमान के स्तर से उचित आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया साथ ही सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन से प्राप्त रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली में वर्णित आदेशिकाओं का गहनता से अध्ययन पश्चात यह प्रतीत होता है कि समय–समय पर पर्याप्त अवसर दिये जा रहे है एवं अधिवक्ता प्रार्थी के विरूद्ध विधि एवं प्रावधानों के परे जाकर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो कि वाद की आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है परन्तु सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को न्यायालय, सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन से न्याय मिलने का विश्वास नहीं रहा है एवं न्याय का यह प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि सही एवं उचित न्याय होना चाहिए तथा न्याय होते हुए प्रदर्शित भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते है कि उक्त वाद अन्य समकक्ष न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया जावे इससे किसी भी पक्ष को कोई न्यायिक क्षति नहीं होगी तथा प्रार्थी के मन में न्यायालय, सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन के संबध में उसके विरूद्व पुर्वाग्रह रखने के विचार भी मूल से समाप्त हो जायेगें।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर न्यायालय, सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन के राजस्व वाद संख्या 295/2021 बअनवान मृतक किशना के कायम मुकाम बनाम मृतक मंशा के कायम मुकाम वगैरह (अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955) मूल ही न्यायालय, सहायक कलक्टर, रानी को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली